

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, की दरें, "अग्रिम-कर" की संगणना की और विशेष मामलों में आय-कर का प्रभारण

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और साथ ही सभी प्रवर्गों के कर दाताओं के मामले में उस वर्ष के दौरान संदेय अग्रिम कर की संगणना की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

ये दरें, ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरण के लिए किसी अनिवासी को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर चोरी के लिए संपत्ति का अंतरण किए जाने की संभावना है या अल्पावधियों के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण, आदि, वर्तमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान आय-कर के प्रभारण के लिए भी लागू होंगी।

उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताओं को वैसा ही रखे जाने का प्रस्ताव है, जैसी वे निर्धारण वर्ष 2006-2007 से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए थीं और जैसा कि निम्नलिखित पैराओं में विनिर्दिष्ट किया गया है: ३

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

आधारिक छूट सीमा 1,00,000/- रुपए बनी रहेगी। 1,00,000/- रुपए से 1,50,000/- रुपए से बीच की आयों पर 10 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा। 1,50,000 रुपए से 2,50,000 रुपए के बीच की आयों पर 20 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा। 2,50,000/- रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा।

प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की, जो महिला है, भारत में निवासी है और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय 65 वर्ष से कम आयु की है, दशा में छूट सीमा 1,35,000/- रुपए बनी रहेगी। 1,35,000/- रुपए से 1,50,000/- रुपए के बीच की आयों पर 10 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा। 1,50,000/- रुपए से 2,50,000 रुपए से बीच की आयों पर 20 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा। 2,50,000 रुपए से अधिक की आयों पर 30 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा।

ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत का निवासी है और जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक आयु का था, छूट सीमा 1,85,000/- रुपए बनी रहेगी। 1,85,000/- रुपए और 2,50,000/- रुपए से बीच की आयों पर 20 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा। 2,50,000/- रुपए से अधिक की आयों पर 30 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा।

ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय की दशा में, जिसकी, यथास्थिति, कुल आय या सीमांत फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं, संगणित आय-कर की रकम में से अध्याय 8-क के अधीन परिगणित आय-कर की रिबेट की रकम को घटाया जाएगा। इस प्रकार कम किए गए आय-कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर की रकम के दस प्रतिशत की दर से परिगणित अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। तथापि, दस लाख रुपए से अधिक की आय पर आय-कर और अधिभार की कुल रकम दस लाख रुपए पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से, आय की उस रकम से ज्यादा अधिक नहीं होगी जितनी दस लाख रुपए से अधिक है।

प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, संगणित आय-कर की रकम को अध्याय 8-क के अधीन परिगणित आय-कर की रिबेट की रकम से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार घटाए गए आय-कर को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर पर परिकल्पित 10 प्रतिशत अधिभार से बढ़ा दिया जाएगा।

सार्वभौमिक गुणवत्ता की बेसिक शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, रूआय-कर पर शिक्षा उपकर- नामक एक अतिरिक्त अधिभार का अधिभार सहित कर की रकम पर 2% की दर से जारी रखना प्रस्तावित है।

ख. सहकारी सोसाइटियां

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरों को विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह दर वही है जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है और निर्धारण वर्ष 2006-2007 के लिए समान बनी रहेगी। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही है जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है और निर्धारण वर्ष 2006-2007 के लिए समान बनी रहेगी। संघ के प्रयोजनों के लिए कर के 10% की दर से एक अधिभार का उद्ग्रहण जारी रहेगा।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में अंतर्विष्ट की गई है यह दर वही है जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है और निर्धारण वर्ष 2006-2007 के लिए समान बनी रहेगी। कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ङ. कंपनियां

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही है जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है और निर्धारण वर्ष 2006-2007 के लिए समान बनी रहेगी। संघ के प्रयोजनों के लिए देशी कंपनियों की दशा में कर के 10% की दर से और विदेशी कंपनियों की दशा में 2.5% अधिभार का उद्ग्रहण जारी रहेगा।

सार्वभौमिक गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दो प्रतिशत की दर से रूआय-कर पर शिक्षा उपकर- नामक एक अतिरिक्त अधिभार उद्गृहीत करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो सभी मामलों में अधिभार सहित संदेय कर की रकम पर उद्ग्रहणीय होगा।

दो नए स्पष्टीकरणों को अन्तः स्थापित करने करना प्रस्ताव है, अर्थात्; यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण 3ग और स्पष्टीकरण 3घ कि यदि कोई राशि, जो किसी ऋण या उधार या अग्रिम पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय है, किसी ऋण, या उधार या अग्रिम में संपरिवर्तित कर दी जाती है तो इस प्रकार संपरिवर्तित ब्याज जो स्वास्तविक रूप से असंदत्त- है, स्वास्तविक संदाय- के रूप में नहीं समझा जाएगा और धारा 43ख के अधीन आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

ऋण या उधार में संपरिवर्तित ब्याज से संबंधित स्पष्टीकरण 3ग अन्तःस्थापित करने वाला संशोधन 1 अप्रैल, 1989 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा तथा ब्याज, ऋण या अग्रिम में संपरिवर्तित ब्याज से संबंधित स्पष्टीकरण 3घ अन्तः स्थापित करने वाला संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी होगा और तदनुसार, क्रमशः निर्धारण वर्ष 1989-1990 और 1997-1998 तथा उनके पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इच्छंद 12ट

कतिपय अनाम संदानों पर कराधान

कतिपय शर्तों को पूर्ण करने के अध्याधीन आय-कर अधिनियम के अधीन पूर्णतः पूर्ण या धार्मिक-न्यासों या संस्थाओं अथवा भागतः पूर्ण या धार्मिक- न्यासों या संस्थाओं की आय को छूट प्राप्त है।

इन संस्थाओं को अनाम संदानों के माध्यम से दिए जा रहे अगणित धन पर कर अधिशेषित करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि अध्याय 12 में एक नई धारा 115 खख अंतःस्थापित की जाए जिससे उस धारा में निर्दिष्ट अनाम संदानों के माध्यम से हुई आय कुल आय में जोड़ी जाएगी और 30 प्रतिशत की दर से कराधेय होगी।

निम्नलिखित अस्तित्वों द्वारा प्राप्त अनाम संदान नई धारा के अधीन होंगे:-

- (?) धारा 11 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था;
- (??) धारा 10 (23ग) (???)कघ) और (?=) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था;
- (???) धारा 10 (23ग) (???)कड) और (=?) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य संस्था;
- (?=) धारा 10 (23ग) (?=) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्था।
- (=) धारा 10(23ग)(=)में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था

निम्नलिखित अनाम संदाय इसके अधीन नहीं होंगे:

- (क) पूर्णतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित किसी न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान।
- (ख) इस विशेष निदेश के साथ प्राप्त कोई अनाम संदाय कि ऐसा संदाय किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या ऐसे न्यास या संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लिए है, से भिन्न धार्मिक के साथ-साथ पूर्ण प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित किसी न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान।

अनाम संदान को परिभाषित किया जाना भी प्रस्तावित है जिसका अर्थ धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (???) में निर्दिष्ट किसी स्वेच्छिक अभिदाय से है, जहां ऐसा अभिदाय प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसा अभिदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और पता और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपदर्शित करने वाली पहचान का अभिलेख नहीं रखता।

धारा 10 (23ग) और धारा 13 में परिणामिक संशोधन किए जाना प्रस्तावित है जिससे, यह उपबंध किया जा सके कि अनाम संदानों के माध्यम से होने वाली कोई आय, जो प्रस्तावित नई धारा 115 खख के उपबंधों के अधीन कराधेय है, निर्धारिती की कुल आय से अलग नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

आय की परिभाषा में कतिपय शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्राप्त स्वेच्छिक अभिदायों को सम्मिलित करने हेतु धारा 2 के खण्ड (24) के उपखंड (???) में परिणामिक संशोधन किया जाना भी प्रस्तावित है। यह संशोधन कुछ संस्थाओं के मामले में भूतलक्षी है।

इच्छंद 3,4,6 और खंड 22 ट

धारा 54 डग के अधीन छूट के लिए रूद्धीर्घावधि में निर्दिष्ट आस्तियों- की परिभाषा में परिवर्तन का वापस लेना

धारा 54ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन दीर्घावधि पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों को कर से छूट प्राप्त है यदि पूंजी अभिलाभों के किसी विनिर्दिष्ट दीर्घावधि आस्ति में विनिधान किया जाता है। रूद्धीर्घावधि विनिर्दिष्ट आस्ति- पद के वही अर्थ है जो उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है, (?) जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् (??) रूल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् (???) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2002 के या उसके पश्चात् और उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है द्वारा जारी और जो ऐसे बंध पत्र जो जारी होने की तारीख से तीन वर्षों को पश्चात् मोचनीय हैं। कर राजस्व बढ़ाने और सड़कों, राजमार्गों और ग्रामीण इलेक्ट्रीफिकेशन अवसंरचना पर केन्द्रित विकास के लिए निधियों का सरिणीकरण करने के लिए उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कर छूट के फायदों को ऐसे बंध पत्रों तक सीमित किया जा सके जो तीन वर्षों के पश्चात् मोचनीय हैं और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या रूल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् जारी किए गए हैं और उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

इच्छंद 13ट

चाही गई है, के तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय फाइल करना पड़ेगा। ऐसा आवेदन किसी पूर्व अवधि के लिए नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित संशोधन केवल उन आवेदनों के संबंध में लागू होगा जो 1 जून, 2006 या उसके पश्चात् किए जाते हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

इच्छंड 4 ट

धारा 234क, 234ख और 234ग के अधीन ब्याज प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) और देश में या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में संदत्त कर प्रत्यय

धारा 234क, 234ख और 234ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारित क्रमशः आय-कर संदाय करने में व्यतिक्रम और अग्रिम कर का आस्थगन करने में व्यतिक्रम करने पर प्रतिमास या मास के भाग के लिए 1% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी ठहराया जाता है। ब्याज, की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किए गए या संग्रहीत कर के लिए प्रत्यय अनुज्ञात किया जाता है। धारा 115जकक के अधीन मैट प्रत्यय, धारा 90 के अधीन कर अनुतोख और धारा 91 के अधीन आय कर से कर की कटौती को पूर्वोक्त धाराओं के अधीन कर प्रभारित करते समय गणना में नहीं लिया जाता है। धारा 140क के अधीन अग्रिम कर में कमी, और आय की विवरणी प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब के लिए भी ब्याज का संदाय किया जाता है।

इस विषय में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि धारा 115जकक के अधीन अनुज्ञात कर प्रत्यय अग्रिम में संदत्त कर से भिन्न नहीं है और धारा 234क, 234ख और 234ग के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज का परिकलन करते समय निर्धारण के परिणामस्वरूप अवधारित कर दायित्व के लिए प्रत्यय दिया जाना चाहिए। ऐसे ही आधारों पर भारत से बाहर संदत्त करों के लिए प्रत्यय का भी अनुरोध किया गया है जिससे भारत से बाहर संदत्त करों के बराबर रकम पर ब्याज प्रभारित न किया जाए।

निम्नलिखित के लिए उपबंध करना प्रस्तावित है:३

(क) धारा 115जकक के अधीन कुल आय पर कर में से मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात कर प्रत्यय में कमी; और

(ख) धारा 90 और धारा 90क के अधीन अनुज्ञात कर के अनुतोख की रकम में कमी और धारा 91 के अधीन अनुज्ञात कुल आय पर कर से संदेय भारतीय आय-कर से कटौती।

आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व कर और ब्याज का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिए धारा 140क के अधीन पूर्वोक्त के लिए प्रत्यय अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 143 की उपधारा(1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर की रकम पर ब्याज अवधारित किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंड 34, 48, 49 और 50 ट

टीडीएस या टीसीएस त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करने से पहले टीडीएस या टीसीएस व्यतिक्रम के लिए ब्याज का संदाय और स्रोत पर संगृहीत कर का संग्रहण या संदाय करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को व्यतिक्रमी समझना

धारा 201 की उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति पूर्ण कर या कर के किसी भाग की कटौती नहीं करता है या कर की कटौती करने के पश्चात् आय-कर अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित कर का संदाय करने में असफल रहता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे कर की रकम पर उस तारीख से, जिससे कर कटौती किया जाना था, उस तारीख तक जिस तारीख को ऐसा कर संदत्त किया जाता है, 12% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी ठहराया जाएगा।

समान उपबंध धारा 206ग की उपधारा (7) के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के संबंध में विद्यमान हैं।

स्व-निर्धारण आधार पर ब्याज के संदाय की आज्ञा के लिए, यह प्रस्तावित है कि धारा 201 की उपधारा (1क) का संशोधन किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, मुख्य अधिकारी और कंपनी धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक तिमाही विवरण देने से पूर्व साधारण ब्याज संदाय करने का दायी होगी, उसी प्रकार ये भी प्रस्तावित है कि धारा 206ग की उपधारा (7) का संशोधन किया जाए जिससे, यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही विवरण देने से पूर्व कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति साधारण ब्याज संदाय करने का दायी होगा। ये संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

धारा 206ग में एक नई उपधारा (6क) अंतःस्थापित करना भी प्रस्तावित है जिससे कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति करसंग्रहण न होने की दशा में निर्धारिती समझा जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति कर के संपूर्ण या किसी भाग का संग्रहण नहीं करता या कर संग्रहण करने के पश्चात् ऐसे कर का संदाय करने में असफल रहता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इच्छंड 42 और खण्ड 47 ट

वार्षिक स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संगृहीत कर विवरणी प्रस्तुत करने को समाप्त करना

धारा 206 और धारा 206ग की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर अधिनियम के अधीन कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति से स्रोत पर काटे गए या संगृहीत किए गए कर की वार्षिक वितरणी तैयार करने तथा इसे विहित आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त करने की अपेक्षा की जाती है।

धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन तथा धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन, स्रोत पर, कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण की त्रैमासिक विवरणियों की प्रणाली 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात कटौती किए गए या संग्रहीत किए गए करों के लिए आरंभ की गई है। त्रैमासिक विवरणियों के आरंभ होने से, वार्षिक स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा अनावश्यक हो गई है। अतः 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात कटौती किए गए या संग्रहीत करों की बाबत स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर कर संग्रहण की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर कर संग्रहण की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता पर आय कर अधिनियम की धारा 272क के अधीन शास्ति का लागू रहना जारी रहेगा।

चूंकि त्रैमासिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना वार्षिक विवरणियों को पूर्णतः प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित है, परिणामतः त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्तिक उपबंध वार्षिक विवरणियों प्रस्तुत करने में असफलता के लिए समरूप किए गए हैं और यह प्रस्ताव है कि धारा 272क की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन विवरणियां परिदत्त करने में असफलता के लिए उदग्रहणीय शास्ति, यथास्थिति, कटौती योग्य या संग्रहणीय कर की रकम से अधिक नहीं होगी।

धारा 139क की उपधारा (5ख) और (5घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने या उसका संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन), यथास्थिति, जिसकी आय से कर की कटौती की गई है या जिसकी आय पर, कर संग्रहीत किया गया है, तैयार की गई सभी विवरणियों में कोट करेगा और धारा 206 और धारा 206ग की उपधारा (5क) के उपबंधों के अनुसार परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा। इसी प्रकार धारा 203क के अधीन सभी चलानों और विवरणियों आदि में टैन कोट करने की अपेक्षा की जाती है।

यह प्रस्ताव है कि वार्षिक विवरणियों प्रस्तुत करने के रूप में धारा 206 की उपधारा (3) के उपबंधों तथा धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक के अनुसार तैयार की गई और परिदत्त की गई या परिदत्त करवाए जाने वाली सभी त्रैमासिक विवरणियों में पैन तथा टैन को कोट करने की ऐसी अपेक्षा के विस्तार को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

धारा 206 और धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर कर संग्रहण की वार्षिक विवरणियों को समाप्त करने के संबंध में संशोधन 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी होगा और धारा 139क तथा 272क के अन्य संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

इच्छंड 32, 44, 46, 47 और 53ट

धारा 142 के अधीन सूचना जारी करने के लिए समय-सीमा के संबंध में स्पष्टीकारक संशोधन

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि ऐसे किसी मामले में, जहां किसी व्यक्ति ने धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी आय की विवरणी नहीं दी है, निर्धारण करने के लिए प्रयोजनों के लिए कोई निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, उससे विहित प्ररूप और रीति में उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए उक्त उपधारा के अधीन किसी सूचना की तामील कर सकेगा।

उपधारा (1) के खंड (?) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे किसी मामले में जहां किसी व्यक्ति ने सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व अपनी आय की विवरणी नहीं दी है, वहां कोई निर्धारण अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, उक्त उपधारा के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी सूचना की तामील कर सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा।

उक्त खंड (?) में एक परन्तुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात अपनी आय की विवरणी नहीं दी है, 1 अप्रैल, 1990 के पश्चात उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तामील की गई है, वहां ऐसी सूचना को उपर्युक्त उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार तामील की गई सूचना समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी होगा।

इच्छंड 35ट

धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी करने की समय-सीमा

धारा 148 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि धारा 147 के अधीन कोई निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना करने से पूर्व कोई निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को, उससे यह अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करेगा कि वह आय की विवरणी प्रस्तुत करे और अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी सूचना के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो।

उपधारा (1) में एक परन्तुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 148 के अधीन तामील की गई किसी सूचना के प्रत्युत्तर में 1 अक्टूबर, 1991 से 30 सितंबर, 2005 के बीच की अवधि के दौरान कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है और, तत्पश्चात वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उक्त उपधारा के संशोधन से तुरंत पूर्व विद्यमान धारा 143 की उपधारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट बारह मास की समाप्ति के पश्चात किंतु धारा 153 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना करने की समय-सीमा की समाप्ति से पूर्व धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तामील की गई थी, वहां ऐसी सूचना को विधिमान्य सूचना माना जाएगा।

उक्त उपधारा में एक परन्तुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 148 के अधीन तामील की गई किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अक्टूबर, 1991 से 30 सितंबर, 2005 के बीच की अवधि के दौरान कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, और तत्पश्चात धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (??) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट बारह मास की समाप्ति के पश्चात किंतु धारा 153 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निर्धारण, पुनः निर्धारण या

पुनः संगणना करने की समय सीमा की समाप्ति से पूर्व धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (??) के अधीन सूचना तामील की गई थी, वहां ऐसी सूचना को विधिमान्य सूचना माना जाएगा।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 1991 से प्रभावी होंगे।

उपधारा (1) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव भी किया जाता है, जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि नव अंतःस्थापित पहले परंतुक या दूसरे परंतुक के उपबंध ऐसी किसी विवरणी के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसे धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन तामील की गई सूचना के प्रत्युत्तर में 1 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात प्रस्तुत किया गया है।

ये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी होंगे।

इखंड 36 ट

निर्धारण और पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए उपबंधित समय-सीमा में कमी

धारा 153 के विद्यमान उपबंध संवीक्षा निर्धारण, सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्धारण, सीमान्त फायदों के निर्धारण, पुनः निर्धारण, आदि के लिए समय-सीमा का उपबंध करते हैं। आय-कर अधिनियम की धारा 153ख ऐसे मामलों में निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा उपबंधित करती है, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या अन्य आस्तियों की अपेक्षा की गई है। धन कर अधिनियम की धारा 17क के विद्यमान उपबंध किसी व्यक्ति के निवल धन के निर्धारण या पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा उपबंधित करते हैं।

आय-कर अधिनियम की धारा 153, 153ख और धन कर अधिनियम की धारा 17क में निर्धारण और पुनः निर्धारण पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमाओं को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि की गई मांग की वसूली के लिए पर्याप्त समय का उपबंध किया जा सके। पुनरीक्षित समय-सीमाएं वे होंगी, जो पूर्वोक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं में से तीन मास कम करने पर प्राप्त होती हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

इखंड 37, 38 और 57 ट

रिटर्न प्ररूप का उपांतरण

धारा 139 की उपधारा (9) के विद्यमान उपबंध उपबंधित करते हैं कि जहां निर्धारण अधिकारी यह विचार करता है कि निर्धारिती द्वारा फाइल किया गया आय का रिटर्न त्रुटिपूर्ण है, वह निर्धारिती के सूचित कर सकेगा और पंद्रह दिनों के भीतर उसे सुधारने का अवसर प्रदान करेगा। उक्त उपधारा का स्पष्टीकरण यह उपबंधित करता है कि आय का रिटर्न त्रुटिपूर्ण माना जाएगा यदि अन्य बातों के साथ, आय की संगणना के संबंध में आय की रिटर्न में उपाबंध, कथन, स्तंभ सम्यक रूप से भरे नहीं गए हैं, रिटर्न के साथ संदेय कर की संगणना दर्शित करने वाला कथन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, कर के संदाय का साक्ष्य, कारबार के लेखे आदि संलग्न नहीं हैं।

उक्त उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में एक परंतुक अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों के संबंध में, उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) से खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों से केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को छूट देने की शक्ति प्रदान की जा सके। यह उपबंधित करने का भी प्रस्ताव है कि बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति होगी जिससे धारा 139 की उपधारा (1) और उपधारा (6) के अधीन विहित आय के रिटर्न के प्ररूप में खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

इखंड 31 ट

कीमत अंकन अंतरण से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 92 ग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध असन्निकट कीमत की संगणना का उपबंध करते हैं। उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि असन्निकट कीमत की संगणना करने हेतु सर्वाधिक समुचित पद्धति लागू की जाएगी। उक्त धारा की उपधारा (3) उन शर्तों को अधिकथित करती है जिनके अधीन निर्धारण अधिकारी किसी मामले में असन्निकट कीमत अवधारित कर सकता है। उपधारा (4) के अधीन यह उपबंधित किया गया है कि ऐसी अवधारित असन्निकट कीमत के आधार पर, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती की कुल आय संगणित कर सकता है। उपधारा (4) का पहला परंतुक यह उपबंधित करता है कि जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित निर्धारिती की कुल आय निर्धारिती द्वारा घोषित आय से अधिक है, धारा 10 क या धारा 10ख या अध्याय 6-ख के अधीन आय की उस रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसके द्वारा इस उपधारा के अधीन निर्धारिती की कुल आय, आय की संगणना के पश्चात वर्धित होती है।

धारा 10क और धारा 10ख निर्यातों से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौतियों का उपबंध करती हैं। धारा 10क विशेष आर्थिक जोन में नव स्थापित इकाईयों के संबंध में निर्यातों से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती का उपबंध करती है। धारा 92 ग की उपधारा (4) के उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण की दृष्टि से, उक्त उपधारा के पहले परंतुक को यह उपबंधित करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि धारा 10क के अधीन आय की उस रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसके द्वारा उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय, आय की संगणना के पश्चात वर्धित होती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इखंड 21 ट

टैन का मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति

आय-कर अधिनियम की धारा 272खख के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति, यदि वह धारा 203 के उपबंधों का, जो उससे कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने की अपेक्षा करते हैं, अनुपालन करने में असफल रहता है तो दस हजार रुपए की राशि की

शास्ति के लिए दायी बन जाता है। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या के आबंटन के पश्चात्, यथास्थिति, कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता से सभी चलानों, प्रमाणपत्रों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों में उसे कोट करने की अपेक्षा की जाती है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, मिथ्या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या कोट करने के लिए कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, हालांकि धारा 272ख के अधीन मिथ्या स्थायी लेखा संख्या कोट करने या सूचित करने के लिए पहले से ही शास्ति विनिर्दिष्ट की गई है।

मिथ्या टैन कोट करने की विविक्षाएं उतनी ही कठोर है जितनी की मिथ्या पैन (स्थाई लेखा संख्यांक) कोट करने के लिए कठोर है। मिथ्या टैन कोट करना, मिथ्या पैन (स्थाई लेखा संख्यांक कोट करने भाँति कटौती किए गए संग्रहीत किए गए कर को उंचत लेखा में प्रविष्ट करना होगा न कि उस व्यक्ति के खाते में जिससे करकी कटौती की गई है या कर संगृहीत गया है। यह पता चलता है कि कतिपय बैंकों की शाखाओं, वे जिन्होंने टैन के लिए आवेदन नहीं किया है, उसी बैंक की अन्य शाखाओं को आबंटित टैन कोट कर रही हैं। ऐसी दशाओं में, कम्प्यूटर प्रणाली एक जैसे टैन धारण करने वाली दो शाखाओं से दो भिन्न-भिन्न विवरणियां प्रतिग्रहण नहीं करती हैं। पैन और टैन को मिथ्या रूप में कोट करना पेपर आधारित प्रणाली थी। डी मेटेरलाइजेशन की घीमी प्रगति के लिए यह एक कारण है। डिमेटेरलाइजेशन को वास्तविकता बनाने के उद्देश्य से कटौतीकर्ताओं या संगृहकर्ताओं द्वारा टैन सही कोट करना लागू करने की आवश्यकता है। जबतक कटौती किए गए तथा संगृहीत किए गए सभी करों की आन लाइन कर लेखा पद्धति (ओएलटीएस) में मिलान नहीं कर लिया जाता और संपूर्ण जानकारी, ऐसे व्यक्तियों जिनसे कर की कटौती की गई या जिनसे कर का संग्रह किया; के खातों के प्रविष्ट नहीं कर दी जाती है तब तक डिमेटेरलाइजेशन लम्बे समय तक विद्यमान पेपर आधारित प्रणाली के लिए पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं हो सकता है। यदि गत अनुभव कोई मार्गदर्शन है तो टैन के लिए आवेदन करने के लिए कटौतीकर्ताओं तथा संग्रहणकर्ताओं से अपेक्षा करने वाले उपबंधों की मात्र विद्यमानता और विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में उन्हें कोट करने से मिथ्या टैन कोट करने के लिए शास्ति विख्यक उपबंधों के अभाव में वांछित अनुपालन नहीं हो पाया है।

अतः, धारा 272ख में एक नई उपधारा (1क) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध हो सके कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति, जिससे धारा 203क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट चालानों, प्रमाणपत्रों, विवरणियों या अन्य दस्तावेजों में अपना स्कर कटौती लेखा संख्यांक- या स्कर संग्रहण लेखा संख्यांक- कोट या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक- करने की अपेक्षा की जाती है तो वह ऐसी संख्या कोट करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में या तो वह जानता है या विश्वास करता है या उसे सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति दस हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

इसके अतिरिक्त, उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जा सकती जब तक संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें उपधारा (1क) का प्रति निर्देश, उस व्यक्ति को, सुने जाने का अवसर देने के प्रयोजन के लिए, जिस पर उक्त उपधारा (1क) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जानी है, सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

इच्छंड 54 और 55ट

स्रोत पर कर संग्रहीत करने में असफलता के लिए शास्ति

स्रोत पर कर संग्रहीत करने की असफलता के लिए आयकर अधिनियम के अधीन अभी तक कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। स्रोत पर कर संग्रहण के उपबंधों के विस्तार के पश्चात् बोर्ड को विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि असंख्य मामलों में कर संग्रहण कर संगृहीत करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः एक नई धारा 271 गक अतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसा व्यक्ति पर शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध किया जा सके जो कर संगृहीत करने के लिए जिम्मेदार है और जो अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने में असफल रहा है। ऐसी शास्ति कर की ऐसी रकम के बराबर राशि होने के लिए प्रस्तावित है जिसका वह स्रोत पर संग्रहण करने में असफल रहा है। शास्ति का आदेश धारा 246क के अधीन अपीली आदेश बनाए जाने का प्रस्ताव है। धारा 273ख के संशोधन के माध्यम से यह और प्रस्ताव किया जाता है कि यदि संबंधित व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसकी असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था तो कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-08 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंड 51, 52 और 55ट

टीडीएस और टीसीएस प्रमाणपत्रों के डिमेटेरलाइजेशन का आस्थगन

स्रोत पर कर कटौती की बाबत धारा 203 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन तथा स्रोत पर कर संग्रहण की बाबत धारा 206 की उपधारा (5) के पहले परन्तुक के अधीन वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 में एक नई प्रक्रिया यह अधिकथित करते हुए प्रारम्भ की गई थी कि, यथास्थिति कटौतीकर्ता या, संग्रहकर्ता से, यथास्थिति, उस व्यक्ति को जिससे कटौती की गई या उस व्यक्ति को जिससे कर संग्रह किया गया, टीडीएस या टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रमाणपत्र को समाप्त करने के परिणामस्वरूप, धारा 199 की उपधारा (3) के अधीन और धारा 206ग की उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन यह और उपबंध किया गया है कि व्यक्ति से जिससे कर की कटौती की गई है या व्यक्ति, जिससे कर संगृहीत किया गया है, कटौती किए गए कर या संगृहीत किए गए कर के प्रत्यय का दावा करने के लिए अपनी आय की विवरणी के साथ टीडीएस या टीसीएस प्रमाणपत्र संलग्न करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। नई प्रक्रिया के अधीन, टीडीएस की बाबत धारा 203क के अधीन प्रारम्भ किए गए उपबंधों के अनुसार या टीसीएस की बाबत धारा 206 की उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक के अनुसार करों के वार्षिक विवरणों के आधार पर टीडीएस या टीसीएस के लिए प्रत्यय निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया जाना है। धारा 139 की उपधारा (9) के अधीन यह भी उपबंध किया गया था कि आय की विवरणी दोखपूर्ण नहीं समझी जाएगी यदि इसके साथ कटौती किए गए कर का प्रमाण संलग्न नहीं था।

उपरोक्त डी मेटेरलाइजेशन विख्यक उपबंध 1-4-2005 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए या संगृहीत किए गए कर की बाबत 1.4.2005 से प्रवृत्त होने थे। तथापि, वित्त अधिनियम, 2005 के माध्यम से मेटेरलाइजेशन विख्यक उपबंध एक वर्ष तक आस्थगित कर दिए गए थे जिससे कि वे 1 अप्रैल 2006 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए या संगृहीत या संदत्त करों के संबंध में प्रवृत्त हो सकें।

पर्याप्त संख्या में कटौती कर्ताओं ने अपनी त्रैमासिक विवरणियां फाइल करनी आरंभ नहीं की है जिनकी उनसे धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन तथा धारा 206 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। त्रैमासिक विवरणियां मुख्य दस्तावेज है जिन से स्रोत पर कटौती किए गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के ब्यौर विभागीय प्रणाली में रखे जाते हैं। आन लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएस) को अभी पूरी तरह स्थायित्व प्रदान किया जाना है क्योंकि कोट करने में असफलता और कई मामलों में मिथ्या पैन और टैन को कोट करने का परिणाम उचित लेखा में कटौती किए गए या संगृहीत किए गए या संदत्त किए गए कर जमा करवाना हुआ है। डिमिटेरलाइजेशन प्रणाली सभी टीडीएस और टीसीएस विवरणियों और चालानों में सही पैन और टैन सहित सभी कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ताओं द्वारा टीडीसी या टीसीएस फाइल करने पर निर्भर करती है। जब तक कटौती किए गए, संगृहीत किए गए या संदत्त सभी करों को ओएलटीएस से मिला नहीं लिया जाता और संपूर्ण जानकारी रूख्यवक्तियों जिनसे कर कटौती की गई— या व्यक्तियों, जिनसे कर संग्रह किया गया, के खाते में प्रविष्ट नहीं कर दी जाती तब तक डिमिटेरलाइजेशन विद्यमान पेपर आधारित प्रणाली के पूर्णतः अनुकल्प नहीं हो सकता है।

ऊपर उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, दो वर्ष तक डिमिटेरलाइजेशन विखयक उपबंधों के प्रारंभ होने को आस्थगित करने का और 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् धारा 203 की उपधारा (3) के अधीन कटौती किए गए, संदत्त धारा 203 की उपधारा (3) या संगृहीत धारा 206ग की उपधारा (5) का पहला परन्तुक करों के संबंध में ऐसे उपबंधों को लागू करने का प्रस्ताव किया जाता है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंद 31, 41, 43, 45 और 47ए

धारा 155 की उपधारा (14) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय तब अनुज्ञात किया जाता जब धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र आय की विवरणी के साथ मूलतः फाइल नहीं किया गया था किन्तु सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व स्रोत पर संगृहीत कर की बाबत धारा 139 की उपधारा (9) के अधीन सबूत प्रस्तावित अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए स्रोत पर कर संग्रहण के प्रमाणपत्र की बाबत इस उपबंध का विस्तार करने का प्रस्ताव करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-08 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इच्छंद 31 और 39ए

कतिपय कटौतियों के फायदों को उन मामलों में अनुज्ञात न किया जाना जहां विवरणी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फाइल नहीं की जाती है कतिपय सेक्टरों/गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, आय-कर अधिनियम में रूखनेक कटौतियां= उपबंधित की गई हैं। धारा 10ख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन वस्तुओं, चीजों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारित की कुल आय में से कटौती के रूप में अनुज्ञात हैं।

धारा 80झक (क) अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, प्रचालन और अनुसंधान; (ख) अधिसूचित औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास प्रचालन या अनुसंधान; (ग) विद्युत के उत्पादन, वितरण या पारेखण में लगे किसी उपक्रम के लाभों और अभिलाभों की, निर्धारित की कुल आय में से 10 क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए कटौती का उपबंध करती है।

धारा 80झकख किसी उपक्रम या किसी उद्यम द्वारा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन विशेष आर्थिक जोन का विकास करने के किसी कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के संबंध में दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय में से कटौती का उपबंध करती है।

धारा 80झख में अंतर्विष्ट उपबंध विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व स्थापित और विनिर्दिष्ट कारबार में लगे हुए कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ पर विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए कटौती का उपबंध करते हैं।

धारा 80झग में अंतर्विष्ट उपबंध अधिसूचित क्षेत्रों में, या विशेष बल दिए जाने वाले क्षेत्र की गतिविधियों में लगे हुए, विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व स्थापित उपक्रम या किसी उद्यम के लाभों और अभिलाभों पर विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए 100% कटौती अनुज्ञात करते हैं।

धारा 10ख में संशोधन करने और एक नई धारा 80कग अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10ख और धारा 80-झक, धारा 80-झकख, धारा 80-झख और धारा 80-झग के अधीन ऐसे किसी निर्धारित को कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व कोई विवरणी फाइल नहीं करता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंद 5 और 15ए

पेन के आबंटन और पेन के स्वतः आबंटन के लिए व्यक्तियों के नए वर्ग को विहित करना

धारा 139क की उपधारा(1) और उपधारा (1क) के विद्यमान उपबंध ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के लिए उपबंध करते हैं जिनसे स्थायी लेखा संख्या रखने की अपेक्षा की जाती है।

एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी सूचना को एकत्र करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, और ऐसे व्यक्ति विहित समय के भीतर स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेंगे।

उक्त धारा की उपधारा(2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके द्वारा कर संदेय है, स्थायी लेखा संख्या आबंटित कर सकेगा।

उक्त उपधारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले संयवहारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति (चाहे उसके द्वारा किसी कर का संदाय किया गया हो या नहीं) को भी स्थायी लेखा संख्या आबंटित कर सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

इखंड 32ट

एक बटा छह स्कीम का लोप

धारा 139 की उपधारा (1) के परंतुक के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि उसमें सूचीबद्ध छह व्यय/आस्ति मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति से तब भी उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, यदि उसकी कुल आय अवसीमा से कम है।

उक्त परंतुक का लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए परंतुक के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे।

इखंड 31ट

आय-कर प्राधिकारियों की शक्ति और कृत्य के बारे में निदेश जारी करने की बोर्ड की शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण

धारा 120 आय-कर प्राधिकारियों की अधिकारिता से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, यह उपबंधित करते हैं कि उन सभी या किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा ऐसी शक्तियों और कृत्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त या समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों या कृत्यों का निर्वहन आय-कर प्राधिकारी करेंगे।

विधानमंडल का आशय स्पष्ट करने की दृष्टि से, उक्त धारा की उपधारा (1) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है, जो यह उपबंधित करता है कि कोई आय-कर प्राधिकारी, जो श्रेणी में उच्च है, श्रेणी में निम्न आय-कर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, यदि उक्त धारा के अधीन बोर्ड द्वारा ऐसा निदेशित किया जाए। यह भी उपबंधित किया गया है कि जारी किया गया ऐसा कोई निदेश उक्त उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया निदेश समझा जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगा।

इखंड 30 ट

कर संदाय सेवा का सुधार

कर विवरणी प्रस्तुतकर्ता के माध्यम से विवरणियां प्रस्तुत करने को सुकर बनाने के लिए नई स्कीम

अधिनियम में एक नई धारा 139ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को आय की विवरणियां तैयार करने और प्रस्तुत करने में सशक्त करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा यह उपबंध करते हुए एक स्कीम विरचित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति अपनी आय की विवरणियां इस स्कीम के अधीन ऐसे रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता के माध्यम से फाइल कर सकते हैं। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा के अधीन विरचित स्कीम उस रीति को विनिर्दिष्ट करेगी, जिसमें कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता, आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सहायता करेंगे और ऐसी विवरणी पर हस्ताक्षर करेंगे। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि कोई कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता धारा 288 की उपधारा(2) के खंड (??) या खंड (?=) में निर्दिष्ट व्यक्ति या विनिर्दिष्ट वर्ग अथवा वर्गों के व्यक्तियों के ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें प्रस्तावित स्कीम के अधीन कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, से भिन्न कोई व्यक्ति हो सकेगा। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा के अधीन अधिसूचित स्कीम उस रीति का उपबंध करेगी, जिसमें किसी कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता को प्राधिकृत किया जाएगा, कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाली शैक्षिक और अन्य अर्हताएं और प्रशिक्षण तथा पूरी किए जाने के लिए अपेक्षित शर्तों, कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता के लिए आचार संहिता, कर-विवरणी प्रस्तुतकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताओं, प्राधिकार वापिस लिए जाने की रीति और ऐसे किसी अन्य विषय का भी उपबंध करेगी, जिसे विनिर्दिष्ट करना अपेक्षित है या जिसे विनिर्दिष्ट किया जाना है।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

इखंड 33ट

कर प्रोत्साहनों की परिधि और अवधि का विस्तारण तथा छूट की उपांतरण व्यवस्था

विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में छूट

धारा 10 के खण्ड (17) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, संसद् सदस्य या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य या उसकी किसी समिति के सदस्य द्वारा प्राप्त निम्नलिखित भत्ते छूट प्राप्त होंगे:

(?) संसद् सदस्य या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य या उसकी किसी समिति के सदस्य द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ता।

(??) संसद् सदस्य द्वारा प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता।

(???) 2000/- रु. प्रति माह की समग्र सीमा तक राज्य विधानमंडल के सदस्य या उसकी किसी समिति के सदस्य द्वारा प्राप्त अन्य सभी अधिसूचित भत्ते।
संसद् सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा प्राप्त भत्तों के कर उपचार में एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से, उक्त धारा के खण्ड (17) का उपखण्ड

अवसंरचना, बंधपत्रों का क्रय, अध्यापन फीस का संदाय, आवास ऋणों आदि के मूलधन का प्रतिसंदाय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, विकारों को न्यूनीकृत करने के लिए, कोई सेक्टर संबंधी सीमाएं नहीं हैं और निर्धारित समग्र विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के भीतर एक या अधिक पात्र क्षेत्रों में विनिधान करने के लिए स्वतंत्र है।

धारा 80ग की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा के खंड (?) से खंड (!!) में विनिर्दिष्ट स्कीमों में पूर्व वर्ष में संदत्त या निक्षिप्त रकम उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है। बीमा कंपनियों, पारस्परिक निधि जैसी बैंकों तथा अन्य संस्थाओं आदि में समान अवसर प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव है कि धारा 80ग की उपधारा (2) में एक नया खंड (21) अन्तःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध हो सके कि किसी अनुसूचित बैंक की स्कीम में 5 वर्ष से कम की नियत अवधि के लिए किसी सावधि निक्षेप में विनिधान उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित बैंक- पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

उपधारा (2) का खंड (!?) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि की कोई ऐसी युनिट-सम्बद्ध बीमा योजना के भाग लेने के लिए धारा 80ग की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में ऐसे अभिदाय को निर्दिष्ट करता है जैसाकि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उक्त उपधारा का खंड (13) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित किसी पारस्परिक निधि की किन्हीं युनिटों में अंशदान को प्रशासक से या ऐसी स्कीम के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुसार तैयार की गई किसी योजना के अधीन विनिर्दिष्ट कम्पनी से निधि को निर्दिष्ट करती है। उक्त उपधारा का खंड (14) धारा 10 के खंड (23घ) क अधीन अधिसूचित किसी पारस्परिक निधि द्वारा स्थापित किसी पेंशन निधि में किसी व्यक्ति द्वारा या प्रशासन द्वारा या विनिर्दिष्ट कम्पनी द्वारा, जैसा केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, किए गए अभिदाय को निर्दिष्ट करता है।

चूंकि धारा 10 का खंड (23घ) का संशोधन कर दिया गया है और यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पारस्परिक निधि को भी निर्दिष्ट करता है, उपधारा (2) खंड (??), खंड (13) और खंड (14) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित शब्दों को खंड (23घ) में निर्दिष्ट- शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। यह इन खंडों के उपबंधों को धारा 10 के खंड (23घ) के समरूप बनाएगा। यह संशोधन केवल धारा 80ग के उपबंधों को धारा 10 के खंड (23घ) के उपबंधों के समरूप बनाने के प्रयोजनों के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंड 16C

नियोजक द्वारा संदत्त स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती तथा कर्मचारियों के हाथ में ऐसे संदायों की छूट प्राप्त प्रास्थिति संबद्ध उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को देय या संदत्त या अनुज्ञात कोई वेतन स्वेतन- शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है। स्वेतन- पद धारा 17 में परिभाषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ, वेतन के बदले या उसके अतिरिक्त मजदूरी, पेंशन, परिलब्धियों या लाभ सम्मिलित हैं। तथापि, धारा 17 का खंड (2) के परन्तुक का खंड (???) परिलब्धियों के कार्य क्षेत्र से किसी ऐसे कर्मचारी के स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराना या उसे प्रवृत्त करवाने के लिए किसी नियोजक द्वारा संदत्त किसी प्रीमियम को छूट प्रदान करता है परन्तु यह तब जब धारा 36(1)(?ख) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार हो। धारा 36(?) (?ख) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन साधारण बीमा निगम द्वारा विरचित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम को निर्दिष्ट करता है।

इसी प्रकार धारा 17 का खंड (2) के परन्तुक का खंड (?=) कर्मचारियों के चिकित्सीय बीमा प्रीमियम की पुनःपूर्ति को छूट प्रदान करता है किन्तु यह तब जब यह धारा 80घ के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार हो। वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित धारा 80घ यह उपबंध करती है कि यह स्कीम या तो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन साधारण बीमा निगम द्वारा रचित स्कीम होनी चाहिए या यह स्कीम किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी स्कीम के अनुसार होनी चाहिए जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है।

धारा 36(1) (?ख) यह उपबंध करती है कि नियोजक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा को प्रवृत्त रखने के लिए उसके द्वारा बैंक द्वारा संदत्त किसी प्रीमियम की रकम की बाबत कारबार या वृत्ति से उसके लाभों और अभिलाभों की संगणना में कटौती का हकदार है। तथापि, यह कटौती केवल तब उपलब्ध है जब बीमा भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा विरचित और ओर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार है।

धारा 36(1)(?ख) के उपबंधों को धारा 80घ के उपबंधों के समरूप बनाने की दृष्टि से, उक्त खंड (?ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे, यह नियोजक के रूप में, किसी अन्य बीमा कर्ता द्वारा विरचित या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम के अधीन उसके कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा को प्रवृत्त रखने के लिए, निर्धारित द्वारा बैंक द्वारा संदत्त किसी प्रीमियम की रकम की कटौती के लिए भी उपबंध किया जा सके।

इसके अतिरिक्त सुव्यवस्थीकरण उपाय के रूप में, धारा 17 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (???) तथा खंड (2) के परन्तुक के खंड (???) तथा खंड (?=) में अन्तर्विष्ट उपबंधों का संशोधन करने का कभी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य बीमाकर्ताओं की स्वास्थ्य स्कीमों में नियोजक द्वारा संदत्त कोई प्रीमियम या कर्मचारियों द्वारा संदत्त प्रीमियम की प्रतिपूर्ति भी परिलब्धियों के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंड 8 और खंड 9C

धारा 80 गगग के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 80 गगग, यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारित को, जो व्यष्टि है, धारा 10 के खण्ड (23 ककख) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वारिंकी योजना के लिए संविदा प्रभावी करने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त या निक्षिप्त रकम को उसकी कुल आय की संगणना में दस हजार रुपए तक कटौती करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

चूंकि धारा 80 ग और धारा 80 गगग के अधीन उपलब्ध कटौती, जैसा कि धारा 80 गगड में अधिकथित है, एक लाख रूपए की कुल सीमा से आच्छादित है, और धारा 80 ग में कोई सेक्टर संबंधी सीमाएं नहीं हैं, यह प्रस्तावित है कि धारा 80 गगग के उपबंधों का संशोधन करके, दोनों धाराओं के उपबंधों को समरूप किया जाए जिससे विनिधान की सीमा को दस हजार रूपए से बढ़ाकर एक लाख रूपए किया जा सके। यह पुनः दोहराया जा सकता है कि प्रस्तावित संशोधन धारा 80गगड. के अधीन उपबंधित एक लाख रूपए की समग्र सीमा के अध्यधीन होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इखंड 17 ट

विद्युत क्षेत्र को कर फायदों का विस्तार

आयकर अधिनियम की धारा 80 झक अवसंरचना विकास में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्योगों के लाभों या अभिलाभों के संबंध में कटौतियां अनुज्ञात करती है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (?=) यह उपबंध करता है कि कोई उपक्रम जो,-

- (क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत में स्थापित किया जाता है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विद्युत का उत्पादन आरम्भ करता है;
- (ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेखण या वितरण लाइनों के नेटवर्क बिछाकर पारेखण या वितरण प्रारंभ करता है;
- (ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय पारेखण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का पर्याप्त नवीकरण और आधुनिकीकरण का भार अपने उपर लेता है; उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन यह कटौती ऐसे उपक्रमों को उपलब्ध नहीं है जो तारीख 31.3.2006 के पश्चात नई पारेखण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछा कर उत्पादन या पारेखण या वितरण प्रारंभ करता है या उक्त तारीख के पश्चात पारेखण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का पर्याप्त नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है। चूंकि 2012 तक सबको विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है इसलिए समय सीमा 31.12.2006 से बढ़ाकर 31.3.2010 तक विस्तारित करने के लिए धारा 80 झघ की उपधारा (4) के खंड (?=) के उपखंड (क) (ख) और (ग) का संशोधन करना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इखंड 18 ट

औद्योगिक पार्कों को कर फायदों का विस्तार

आयकर अधिनियम की धारा 80 झक अवसंरचना विकास में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्योगों के लाभों या अभिलाभों के संबंध में कटौतियां अनुज्ञात करती है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (???) यह उपबंध करता है कि कोई उपक्रम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक जोन का इसके द्वारा विरचित स्कीम के अनुसार 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाली अवधि और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विकास, विकास और प्रचालन या अनुसंधान और प्रचालन करता है तो वह उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है।

औद्योगिक पार्कों में निवेश आकर्षित करना जारी रखने के लिए, समय सीमा को तारीख 31.3.2006 से बढ़ाकर तारीख 31.3.2009 करने के लिए धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (???) को संशोधित करना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इखंड 18 ट

कतिपय निकायों या प्राधिकरणों की विनिर्दिष्ट आय को छूट से संबंधित उपबंध

अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी ऐसे गैर-लाभकारी निकाय या प्राधिकरण की, जिसे किसी ऐसी बहु-पक्षीय संधि करार या अभिसमय के, जिस पर केन्द्रीय सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, अधीन स्थापित, गठित या नियुक्त किया गया है, विनिर्दिष्ट आय के लिए छूट का उपबंध किया जा सके। छूट दी जाने वाली आय की प्रकृति और विस्तार भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा।

इखंड 4 ट

प्रकीर्ण

अवसंरचना पूंजी कंपनी, अवसंरचना पूंजी निधि और अवसंरचना सुविधा की परिभाषा

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन अवसंरचना पूंजी कंपनी और अवसंरचना पूंजी निधि को धारा 10 के खंड (23छ) में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह परिभाषा धारा 80झक और धारा 80झख के प्रति निर्देश करती है। धारा 10 के खंड (23छ) में विद्यमान अवसंरचना पूंजी कंपनी और अवसंरचना पूंजी निधि की परिभाषा का आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि धारा 10 के खंड (23छ) का आयकर अधिनियम से लोप करने का प्रस्ताव है जिससे अवसंरचना पूंजी कंपनी और अवसंरचना पूंजी निधि की सामान्य परिभाषा का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त धारा 10 के खंड (23छ) का लोप करने के प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (=???) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए अवसंरचना सुविधा को परिभाषित करने का प्रस्ताव है जिससे यह अभिप्रेत हो, १

(?) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (?) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई अवसंरचना या इसी प्रकृति की कोई अन्य जन सुविधा जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड इस निमित्त अधिसूचित करे, जो यथाविहित निबंधनों को पूरा करे;

(??) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (???) या खंड (???) या खंड (?=) में निर्दिष्ट उपक्रम; और

(???) धारा 80झख की उपधारा (10) निर्दिष्ट कोई उपक्रम।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-08 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंद 3,9 और 40 ट

भविष्य निधि को मान्यता प्रदान करने के संबंध में उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 की अनुसूची 4 के भाग क का नियम 4, आयकर अधिनियम के अधीन भविष्य निधि द्वारा मान्यता प्राप्त करने या बनाए रखने हेतु उन शर्तों का उपबंध करता है, जिन्हें पूरा किया जाना अपेक्षित है।

उक्त नियम में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई भविष्य निधि मान्यता प्राप्त कर सकती है या बनाए रख सकती है, यदि यह कतिपय शर्तों को पूरा करती है जैसे कि-

(?) सारे कर्मचारी भारत में नियोजित हों; या नियोक्ता अपने कारखाने का मुख्य स्थान भारत में रखता हो;

(??) निधि-अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन दो या अधिक न्यासियों या शासकीय न्यासी में निहित हो;

(??) किसी वर्ष में कर्मचारी का अभिदाय उस वर्ष के लिए उसके वेतन का निश्चित भाग होगा और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से काटा जाएगा;

(?=) किसी वर्ष में किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में कर्मचारी का अभिदाय उस वर्ष में कर्मचारी के अभिदायों की रकम से अधिक नहीं होगा; आदि।

मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों में छोटे विनिधानकर्ताओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं से निपटने हेतु, आय-कर अधिनियम और कर्मचारी- भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के बीच विधायी सहक्रिया प्रदान करने के दृष्टिकोण से, उक्त नियम में एक नया खण्ड (डक) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निधि एक स्थापन होगी जिसको कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं तथा ऐसे स्थापन को उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूची 4 के भाग क का नियम 3 उपबंध करता है कि मुख्य आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त किसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान कर सकेगा जो नियम 4 और बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विहित शर्तों को पूरा करती है। वह, किसी भी समय, ऐसी मान्यता वापस ले सकेगा यदि भविष्य-निधि ऐसी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करती है। उक्त नियम के अधीन कई भविष्य निधियां हो सकती हैं, जो नियम 4 के प्रस्तावित खण्ड (डक) में उपवर्णित शर्तों को पूरा नहीं करती। चूंकि आय-कर अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के बीच सहक्रिया स्थापित की जानी है, अतः यह प्रस्तावित है कि नियम 3 के उपनियम (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिसमें यह उपबंध हो कि जहां 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व किसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खण्ड (डक) में उपवर्णित शर्तों को, या किन्हीं अन्य शर्तों को, जो बोर्ड इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, पूरा नहीं करती, तो ऐसी निधि की मान्यता वापस ले ली जाएगी; यदि किसी निधि ऐसी शर्तों को 31 मार्च, 2007 को या उसके पूर्व पूरा नहीं करती।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इच्छंद 56 ट

दोहरे कराधान अनुतोख आदि से संबंधित उपबंध

यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 90क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि भारत का कोई भी विनिर्दिष्ट संगम, भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकता है और केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दोहरा कराधान अनुतोख प्रदान करने, दोहरे कराधान से बचने, आय-कर के अपवंचन या चोरी का निवारण करने या आय-कर की वसूली हेतु सूचना के आदान-प्रदान के लिए ऐसे करार को अपनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपबंध कर सकेगी। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे किसी निर्धारिती के संबंध में, जिसे उक्त करार लागू होता है, आय-कर अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे उस निर्धारिती के लिए अधिक फायदाप्रद हैं।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और वह आय-कर अधिनियम या उक्त करार के उपबंधों से असंगत न हो, आय-कर अधिनियम या उक्त करार में प्रयुक्त ऐसे किसी पद का, जो परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो उस अधिसूचना में उसका है। इस प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट संगम" और "विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

धारा 2(37क) के अधीन स्मृत दर या दरें या स्मृत दरें की परिभाषा के लिए पारिणामिक संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे प्रस्तावित नई धारा के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

इच्छंद 3 और 20 ट

"व्युत्पन्नों की परिभाषा के प्रतिनिर्देश

धारा 43 के खण्ड (5) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में सक्षम संव्यवहार सट्टा संव्यवहार नहीं समझा जाएगा। व्युत्पन्नों की परिभाषा पूर्व में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (5क) में निर्दिष्ट थी। जनवरी, 2005

में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में, संशोधन के माध्यम से, उक्त खंड (कक) को खंड (कग) के रूप में पुनः अक्षरित किया गया। तदनुसार, 'व्युत्पन्न' पद की परिभाषा के प्रतिनिर्देश को धारा 43 में खंड (5) पुनः अक्षरित किया गया है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा।

इखंड 11ट

सीमांत फायदा कर

सीमांत फायदा कर के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115 बख रूसीमांत फायदे-पद की परिभाषा का उपबंध करती है। अन्य बातों के साथ, इसका अर्थ किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया गया कोई विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा, कर्मचारी की अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में नियोजक द्वारा कोई अभिदाय आदि अभिप्रेत है। उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि सीमांत फायदे किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए समझे जाएंगे यदि नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति के अनुक्रम में मनोरंजन, आतिथ्य, सम्मेलन, विक्रय संवर्धन (जिसके अंतर्गत प्रचार भी है), आदि पर कोई व्यय उपगत किया है या उसके प्रयोजनों के लिए कोई संदाय किया है। धारा 115 बख की उपधारा (2) के खण्ड (घ) का परंतुक विक्रय के, जिसके अंतर्गत प्रचार भी है, विज्ञापन संबंधी कतिपय व्यय को अपवर्जित करता है।

नियोक्ताओं को अनुतोख प्रदान करने के लिए ऐसे अपवादों का दायरा बढ़ाने हेतु, उक्त धारा 115 बख की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के परंतुक में एक नया खण्ड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि डाक्टरों को निःशुल्क दवाएं या चिकित्सा उपकरणों के नमूनों के वितरण पर व्यय और नियोजक के कारबार के माल या सेवाओं के विक्रय के संवर्धन के लिए ख्यातिप्राप्त किसी व्यक्ति को संदाय के रूप में व्यय को सीमांत फायदों के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए स्विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार भी है- में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

धारा 115 बख की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा में ऐसी परिलब्धियां सम्मिलित नहीं हैं, जिनके संबंध में कर्मचारी द्वारा कर को संदाय किया जाता है या संदेय है।

अपने कर्मचारियों के निवास से कार्यालय और कार्यालय से निवास की यात्राओं पर उपगत नियोजकों के व्यय को विनिर्दिष्ट रूप से इस कर के उपबंधों से छूट देने के लिए धारा 115 बख की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया उनके निवास से कार्य स्थल या ऐसे कार्यस्थल से निवास स्थल की यात्राओं के लिए निःशुल्क या सहायता प्राप्त परिवहन की प्रकृति का कोई फायदा या सुख-सुविधा या ऐसे कोई भत्ते सीमांत फायदों का भाग नहीं होगा।

धारा 115 बग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन सीमांत फायदों को धारा 115 बख में विनिर्दिष्ट कतिपय व्ययों के प्रतिशत के निबंधनों में अवधारित किया जाना है, जिसे सीमांत फायदा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए सीमांत फायदे के रूप में लिया जाएगा।

धारा 115 बग की उपधारा (1) का खण्ड (ग) यह उपबंधित करता है कि कर्मचारियों के लिए किसी अनुमोदित अधिवर्षिता विधि में नियोजक द्वारा अभिदाय की वास्तविक रकम सीमांत फायदों का मूल्य होगा।

उक्त खण्ड (ख) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी नियोजक द्वारा उस सीमा तक किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में प्रति कर्मचारी एक लाख रुपए से अनधिक के अभिदाय सीमांत फायदा कर के लिए दायी नहीं होंगे। उदाहरणार्थ, ऐसे नियोजक पर विचार करना जो तीन कर्मचारी रखता है: क, ख, और ग तथा निम्नलिखित रीति में अनुमोदित अधिवर्षिता विधि में उनके खाते में अभिदाय करता है:-

| कर्मचारी | नियोजक के द्वारा अनुमोदित अधिवर्षिता निधि |
|----------|---|
| | अभिदान |
| क | 50,000 |
| ख | 20,000 |
| ग | 2,00,000 |

क और ख कर्मचारियों की दशा में, सीमांत फायदों का मूल्य शून्य समझा जाएगा क्योंकि इन कर्मचारियों की बाबत नियोजक द्वारा अभिदाय प्रत्येक मामले में एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। तथापि, कर्मचारी ग के मामले में सीमांत फायदे का मूल्य सीमांत फायदा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए 1,00,000 रुपए) होगा।

उक्त उपधारा 115 वग की उपधारा (1) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित है कि धारा 115 बख की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्ययों का ऐसा बीस प्रतिशत, जिसके अंतर्गत प्रवहन, टूर और यात्रा (विदेश यात्रा सहित) भी है, सीमांत फायदों का मूल्य होगा।

धारा 115 वग की उपधारा (1) में एक नया खंड (ड) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि टूर और यात्रा (विदेश यात्रा सहित) पर उपगत व्यय के पांच प्रतिशत को सीमांत फायदे के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तथापि, प्रवहन के प्रयोजनों के लिए उपगत व्ययों के बीस प्रतिशत को सीमांत फायदों के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया जाता रहेगा।

अतः धारा 115 बग की उपधारा (2), धारा 115 बख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कतिपय व्ययों की दशा में सीमांत फायदों के मूल्यांकन के लिए निम्न दर पर उपबंधित करती है।

धारा 115 बग की उपधारा (2) में नए खंड (कक), (कख), (कग) और (कघ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि वायुयान या पोत द्वारा यात्रियों या मालों को लाने-ले-जाने के कारबार में लगे किसी नियोजक की दशा में धारा 115 बख की उपधारा (2) के, क्रमशः

आतिथ्य और होटल के उपयोग, वासा तथा बोर्डिंग से संबंधित खंड (ख) और खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमान्त फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के बजाए पांच प्रतिशत होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2007-2008 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इस खंड 28 और खंड 29 ट

प्रतिभूति संव्यवहार कर

प्रतिभूति संव्यवहार कर के प्रभार से संबंधित वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम 2004 की धारा 98

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम की धारा 98 के विद्यमान उपबंध ये उपबंध करते हैं कि प्रतिभूति संव्यवहार कर निम्नलिखित संव्यवहारों के संबंध में नीचे दी गई दर के अनुसार प्रभारित किया जाएगा:-

- (?) क्रेता द्वारा सदंत की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.1% की दर से,
- (??) विक्रेता द्वारा सदंत की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.1% की दर से,
- (???) विक्रेता द्वारा सदंत की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की अपरिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.02% की दर से,
- (?=) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट विकल्प या भविष्य व्युत्पन्नों के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.0133% की दर से,
- (=) किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई को पारस्परिक निधि को बिक्री के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.2% की दर से ।

अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने और कर राजस्व के नुकसान को रोकने के दृष्टिकोण से भी इन दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई दरें निम्नानुसार होंगी :-

- (?) क्रेता द्वारा सदंत की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.125% की दर से,
- (??) विक्रेता द्वारा सदंत की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.125% की दर से,
- (???) विक्रेता द्वारा सदंत की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की अपरिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.025% की दर से,
- (?=) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट विकल्प या भविष्य व्युत्पन्नों के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.017% की दर से,
- (=) किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई को पारस्परिक निधि को बिक्री के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.25% की दर से ।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

इस खंड 76 ट

2. निम्नलिखित पर 16% उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया गया है:

- (क) छाते और धूप के छाते और उनके हिस्से
- (ख) अन्तिम इस्तेमाल प्रमाणन के अधीन रहते हुए (खाद्य उत्पादों को साधारणतया बिना किसी शर्त के उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है) निशुल्क वितरण के लिए आशयित खाद्य निर्मितियां।
- (ग) जनता साबुन स्कीम के अधीन बिक्री के लिए निर्मित साबुन।
- (घ) पोलिप्रोपिलीन रस्सों के विनिर्माण में अपनी उत्पादन फैक्टरी में प्रयोग की गई पोलिप्रोपिलीन की स्ट्रिप और टेपें।
- (ङ) अध्याय 87 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण के लिए सहयोगी इकाई को अंतरित मोटर वाहनों के पुर्जे और संघटक।
- (च) जल प्रबंधन के लिए पीडी पम्पों के विनिर्माण हेतु (वैद्युत स्टैंपिंग और लेमिनेशन; वेयरिंग और वाईडिंग तारों से भिन्न) वस्तुएं।
- (छ) भारत में किसी मेले या प्रदर्शनी में प्रदर्शन के लिए आशयित विनिर्दिष्ट माल
- (ज) टेबलवेयर, किचनवेयर के हिस्से और लोहे और इस्पात, ताबें, एल्युमिनियम की अन्य घरेलू वस्तुएं।
- (झ) रेल ट्रेक मशीनें
- (ञ) सल्फर (2503 00 10) उर्वरक के लिए इस टैरिफ मद के अधीन आने वाले सल्फर को छूट दी जाएगी।
- (ट) पेंसिल और पेंसिल की लीडों के विनिर्माण के लिए ग्रेफाइट और क्ले का मिश्रण
- (ठ) पेंसिलों के विनिर्माण के लिए एल्युमिनियम के लौह छल्ले
- (ड) साधारणतया हुक्का, तम्बाकु या गुडाकु के नाम से ज्ञात हुक्के या चिलम के माध्यम से धूम्रपान के लिए प्रयोग किया जाने वाला तम्बाकू

इटिप्पण: इन सभी मामलों में, सामान्य लघु उद्योग (एएसआई) स्कीम के अधीन 1 करोड़ रुपए तक की छूट उपलब्ध होगी।

3. निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क 8% से बढ़ाकर 16% कर दिया गया है:

- (क) मोजेक टाइलें
- (ख) कांच का सामान
- (ग) ले फ्लेट टबिंग
- (घ) सिगरेट फिल्टर की छड़े

4. जंगरोधी इस्पात की पट्टियों/पट्टों पर यौगित उद्ग्रहण की दर 15000/- रुपए प्रति मशीन से बढ़ाकर 30000/- रुपए प्रति मशीन कर दिया गया है।

इ. खाद्य प्रसंस्करण

निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है:

- (क) संघणित दुग्ध पर 16% से शून्य
- (ख) आइसक्रीम पर 16% से शून्य
- (ग) पैक्टिक पदार्थ, पैक्टिनेट और पैकटेड, पैक्टिन एस्ट्रीज पर 16% से शून्य
- (घ) खमीर पर 16% से शून्य
- (ङ) प्रसंस्कृत मांस, मत्स्य, कुकुट्ट उत्पादों पर 8% से शून्य
- (च) पास्ता चाहे पकाया गया हो या नही या भरा हुआ या अन्यथा तैयार, 16% से शून्य
- (छ) खाने के लिए तैयार डिब्बाबंद खाद्य पर 16% से 8%
- (ज) टैक्सच्युरीकृत वनस्पति प्रोटीन (सोया बड़ी) और त्वरित खाद्य मिश्रणों, अर्थात् पोंगल मिश्रण, वडई मिश्रण, पकोड़ा मिश्रण, पायसम मिश्रण, गुलाब जामुन मिश्रण, रवा डोसा मिश्रण, इडली मिश्रण, डोसा मिश्रण, मुरुक्कु मिश्रण और केंसरी मिश्रण पर 16% से 8%
- (झ) सुगंधित सुपारी, जिसका खुदरा मूल्य 50 पैसे प्रति पाउच या उससे कम है, पर लागू 8% के रियायाती उत्पाद शुल्क का सुगंधित सुपारी जिसका खुदरा मूल्य प्रति पाउच 1 रुपए या कम है, पर विस्तार कर दिया गया है।

ई. पेट्रोलियम

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन घरेलू पेट्रोलियम कच्चे तेल पर उद्ग्रहणीय उपकर 1800 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।

उ. तम्बाकू उत्पाद

(1) सभी प्रकार के पान मसालों पर उत्पाद शुल्क की दर को एकीकृत कर के 66% कर दिया गया है।

- (7) चीनी शर्बत जिसमें सुरुचिकारी या रंगकारी द्रव्य मिलाया गया है (जिसके अन्तर्गत वातित जल में उपयोग के लिए आशयित लेमोनेडों या अन्य सुपेयों की निर्मितियां नहीं हैं)
- (8) खनिज जल
- (9) वातित या खनिज जल, बर्फ और हिम से भिन्न ऐसा जल जिसमें चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य या सुवास नहीं है (2201 90 90)।
- (10) वातित और खनिज जल, बर्फ और हिम से भिन्न जल जिसमें सुवातित जल या लेमोनोड से भिन्न चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य या सुवास अन्तर्विष्ट है (2202 10 90)।
- (11) दुग्ध युक्त सुपेय (2202 90 30)।
- (12) अन्य जल (2202 90 90)।
- (13) खाद्य मिश्रण या प्राणी या वनस्पति वसा और तेल की निर्मितियां (मारजरीन तथा लिनोक्सीन से भिन्न) युक्त सुपेय (2202 90 30)।
- (14) अध्याय 20 की वनस्पतियों तथा फलों की निर्मितियां।

घ. प्रकीर्ण :

- (1) सरेसित विद्युत्स्रोधी रेल जोड़ों की बाबत मूल्य परिवर्धन पर ही उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के लिए उपबंध किया है, यदि कोई इनपुट कर प्रत्यय लिया जाता है।
- (2) वायु प्रचालित उर्जा जनित्रों घूर्नित्र ब्लेडों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर उपलब्ध उत्पाद-शुल्क छूट, सभी ग्लास वेयर मर्दों (7019) और रेसिन बंधकों (3824 90) पर विस्तारित की गयी है।
- (3) कॉयूर उद्योग, काजू उद्योग, चर्म शोधन उद्योग, तेल मिल तथा विलायक निष्कर्षित उद्योग, और धान कुटाई उद्योग के उत्पादों पर सामान्य छूट वापस ले ली गई है। इसका परिणाम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होना चाहिए क्योंकि इन उद्योगों के विनिर्दिष्ट उत्पाद पृथक्कृत: उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है।
- (4) छूट उन मामलों में वहां वापस ले ली गई है जहां विनिर्दिष्ट माल के लिए प्रयुक्त टिकाऊ पैकिंग की लागत निर्धारण के लिए मूल्य में सम्मिलित नहीं गई थी। यह छूट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन संव्यवहार मूल्य को समाविष्ट किए जाने के पश्चात अनावश्यक हो गई है।

ड. सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा नियमों में संशोधन :

- (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 12ग का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 क की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अधिशेष रकम को उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा किया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण पर किसी उत्पाद की उत्पाद शुल्क्यता का विनिश्चय करने की शक्तियां स्पष्टतः प्रदान करने के लिए संशोधित की जा रही है।
- (3) अध्याय 25 में एक टिप्पण यह उपबंध करने के लिए अन्तःस्थापित किया गया है जिससे कि शीर्ष 2515 तथा 2516 के उत्पादों के संबंध में सिल्लियों या टाइलों में ब्लाकों को काटने या उन्हें चीरने या उनका आमापन करने या पालिशकृत करने की प्रक्रियाएं स्वनिर्माण- की कोटि में आएंगी।
- (4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में अध्याय 32 के टिप्पण 27 का संशोधन किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शीर्ष 3206 के उत्पादों और टैरिफ मद 3204 19 81 से 3204 19 90 के उत्पादों, के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना तथा प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैकिंग करना या उपभोक्ता के लिए उत्पाद को विपणनीय बनाने के लिए किसी उपचार का अंगीकरण स्वनिर्माण- की कोटि में आएगा।
- (5) अध्याय 39 में एक टिप्पण अन्तःस्थापित किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शीर्ष 3920 तथा 3921 के अन्तर्गत आने वाले माल की बाबत धात्विकीकरण की प्रक्रिया स्वनिर्माण- की कोटि में आ सके।
- (6) अध्याय 72 में एक टिप्पण अन्तःस्थापित किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में किसी शलाका, छड़ी, तार छड़ी, गोलाकार शलाका या किसी अन्य वैसी ही वस्तु को चमकीली शलाका में कर्षण या पुनर्कर्षण की प्रक्रिया स्वनिर्माण- की कोटि में आएगी।
- (7) अध्याय 73 में टिप्पण 5 यह उपबंध करता है कि शीर्ष 7304 और 7305 के पाइपों तथा नलिकाओं को सीमेन्ट या पोलिएथाइलीन या अन्य प्लास्टिक सामग्रियों से विलेपन की प्रक्रिया स्वनिर्माण- की कोटि में आएंगी। इस उपबंध का विस्तार शीर्ष 7306 के माल पर किया जा रहा है।
- (8) ईपीसीजी स्कीम के अधीन आयातित पूंजी माल पर सीमा शुल्क मूल्यांकन विधि के अनुसार संव्यवहार मूल्य के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाता है तथापि, निर्यात बाध्यता नियत करते समय ऐसी कतिपय अनुज्ञप्तियों के संबंध में, जो आयातों के सीआईएफ मूल्य का गुणक है, वास्तविक सीमाशुल्क निर्धारित मूल्य को गणना में लेने की बजाए नए पूंजी माल का तत्स्थानी मूल्य लिया गया था। अधिसूचना सं. 160/92 सीमाशुल्क तारीख 20.4.1992 का संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से यह उपबंध करने के लिए किया जा रहा है कि इन अनुज्ञप्तियों की बाबत निर्यात बाध्यता पुनःनियत की जाएगी जो नए पूंजीमाल के तत्स्थानी मूल्य के बजाए सीमाशुल्क के अनुसार निर्धारित वास्तविक सीआईएफ मूल्य पर आधारित होगी।
- (9) डीईपीबी स्कीम के अधीन जारी की गई तारीख 17.9.2004, की अधिसूचना सं. 96/2004-सीमाशुल्क तारीख 30.9.2005 को समाप्त हो गई थी और तत्पश्चात, एक नई अधिसूचना (सं. 89/2005-सीमाशुल्क तारीख 4.10.2005) 31.12.2005 तक सीमाशुल्क का संदाय किए बिना डीईपीबी स्कीम के अधीन सभी आयातों को अनुज्ञात करने के लिए जारी की गई थी पूर्वतर अधिसूचना समाप्त होने के बीच तीन दिन का अन्तर था। डीईपीबी के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. 96/2004-सीमाशुल्क का संशोधन किया जा रहा है जिससे 1.10.2005 से 3.10.2005 (दोनों सम्मिलित हैं) तक की अवधि के दौरान आयातित माल के लिए डीईपीबी स्कीम का फायदा भूतलक्षी प्रभाव से अनुज्ञात किया जा सके।

